गत कुछ हफ्तों में दक्षिण जापान के शहर यामागुची में बंदरों का एक झुण्ड कम से कम 50 लोगों पर हमला कर चुका है, हालांकि, किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। अधिकारियों का कहना है कि बंदर अधिकतर बच्चों और महिलाओं को लक्ष्य बना रहे हैं, परंतु वृद्धों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। शहर के एक अधिकारी, मासातो साइतो ने कहा, ''ये बंदर बहुत चतुर हैं, चुपचाप पीछे से आकर टांगें पकड़ लेते हैं। मैंने पूरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा है।'' जैपनीज़ मकाक, जिन्हें स्नो मंकीज़ भी कहते हैं, सर्दी के दिनों में हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के लिए जाने जाते हैं। ये बंदर 20-30 के समूह में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी एक गुट में सौ बंदर भी देखे गए हैं। एक समय ये बंदर जापान में संकटग्रस्त थे, लेकिन अब इनकी आबादी बढ़ी है और इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने इन्हें ''कम चिन्ताजनक'' वर्ग में सूचिबद्ध किया है। इन जानवरों की उम्र 22 से 27 साल होती है। नर जैपनीज़ मकाक तकरीबन 25 पाउण्ड और मादा 18.5 पाउण्ड तक की होती है। कोबे युनिवर्सिटी में वाइल्डलाइफ मैनेजमैंट विशेषज्ञ, मेको कियोनो ने कहा, ''मकाक की आबादी बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ इनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं इसलिए मनुष्य और बंदर के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं।'' एडो काल (1603-1867) से ही जैपनीज़ मकाक मंकी मनुष्य के साथ मिलजुलकर रह रहे हैं। जापान पर्वतीय देश है और लोग पहाड़ों के पास रहते हैं जो इन बंदरों का भी घर है इसलिए गांवों और शहरों में इनका आना -जाना आसान है। बताया जा रहा है कि इन दिनों कुछ बंदर तो खिड़की -दरवाज़ों से मकानों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। पिछले दिनों घर में सो रहे एक वृद्ध पर बंदरों ने हमला किया। बंदरों को पकड़ने के लिए जाल आदि लगाना असफल रहा है इसलिए अब ट्रैंकुलाइज़र्स की मदद से इन्हें पकड़ने की मुहिम शुरु की गई है।

'अमेरिका अपना वर्चस्व बनाने के लिए दूसरे देशों में युद्ध करवाता है'

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाये

- **पुतिन ने कहा कि, अमेरिका ने यूक्रेन के मन में रूस के प्रति शत्रुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने ताईवान का भी जिक्र किया और कहा कि, अपने फायदे के लिए चीन और ताईवान में बैर पनपाया गया है।**

मॉस्को, 17 अगस्त। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के मन में रूस के प्रति शत्रुता को प्रोत्साहित किया, अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए इस तरह से झगड़े करा रहा है।

पुतिन ने ताइवान का भी जिक्र किया। कहा कि जल्द ही अमेरिका का एकाधिकार खत्म होगा। रूस ने यूक्रेन में रासायनिक और परमाणु हमले के दावों का भी खंडन किया और कहा कि यह पश्चिमी देशों द्वारा फैलाया जा रहा है बेतुका प्रोपेगेंडा है।

अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने लंबे समय से किए जा रहे दावे की पुष्टि की और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी विरोधी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। इसलिए इसके जवाब में रूस को यूक्रेन में सेना भेजनी पड़ी।

पुतिन ने आरोप लगाया, अमेरिका को अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए संघर्ष की जरूरत है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन के लोगों को बलि के रूप में इस्तेमाल किया। यूक्रेन की स्थिति से पता चलता है कि अमेरिका संघर्ष को जारी रखने की कोशिश कर रहा है, और यह ठीक उसी तरह है जैसे अमेरिका एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में संघर्षों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान की चीन अत्यधिक सराहना करता है कि अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा 'सावधानीपूर्वक तैयार किया गया उकसावा' था।

रूसी नेता के बयानों पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर राजनयिक ने कहा, चीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा व्यक्त किये गये रुख की बहुत सराहना करता है। वांग ने कहा कि जब से पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है 170 से अधिक देशों ने वन चाइना सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और अपनी राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए बीजिंग के प्रयासों का समर्थन किया है।

वांग के अनुसार पुतिन की राय चीन और रूस के बीच उच्च स्तर के रणनीतिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करती है।

चीन ने द्वीप पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के दौरे का बार-बार विरोध किया था क्योंकि वह ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और ताइपे के साथ किसी भी प्रत्यक्ष आधिकारिक विदेशी संपर्क का विरोध करता है।

अगस्त की शुरुआत में पेलोसी की द्वीप की यात्रा ने ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव का एक नया दौर शुरू कर दिया और ताइवान के खिलाफ चीनी प्रतिबंधों की एक लहर शुरू हो गयी। इसके अलावा बीजिंग ने द्वीप के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें ताइवान के हवाई क्षेत्र के करीब लाइव-फायर ड्रिल और सैन्य विमान ओवरफ्लाइट शामिल थे।

चीनी राष्ट्रवादी पार्टी (कुओमिन्तांग) का गढ़ बनने के बाद ताइवान बीजिंग से अलग हो गया, जिसे 1949 में एक गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। चीनी मुख्य भूमि और द्वीप ने 1980 के दशक के अंत में व्यापार और अनौपचारिक संपर्क फिर से शुरू किया।

कोटपूतली में नगर पालिका द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाही कानूनी दलदल में फंसी

-यादवेन्द्र शर्मा-

- **हाई कोर्ट में कोटपूतली नगर पालिका द्वारा अदालती आदेश के विरूद्ध तथा न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए इमारतें ध्वस्त करने के संबंध में याचिकायें दायर।**
- **मानवाधिकार आयोग में भी याचिका दायर की गई है।**
- **हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में मुख्य न्यायाधीश की खण्डपीठ से गुहार की गई है कि वह आदेश पारित करें कि अदालत ने नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर जो रोक लगाई थी, वह नगर पालिका में रहने वाले सभी लोगों के हित में दिया गया आदेश था, न केवल उन लोगों के हित में जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी।**

जयपुर, 17 अगस्त। राजस्थान हाई कोर्ट में इस माह की छः तारीख को कोटपूतली नगर पालिका द्वारा 68 इमारतों को भूमि अवाप्त करे बिना तथा न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए, ध्वस्त करने से संबंधित नौ याचिकायें दायर की गई हैं। इन नौ मामलों के अलावा मानवाधिकार आयोग में भी मामला दायर किया गया है।

न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की एकल पीठ के समक्ष दायर आठ मामलों में कई याचिकाकर्ता ऐसे हैं जिनका पट्टा रद्द करने के लिए नगर पालिका ने उन्हें ''म्युनिसपैलिटीज़ एक्ट'' की धारा 73 के तहत नोटिस जारी किया है। इसके अलावा इस एकल पीठ के समक्ष चार ऐसी याचिकायें भी हैं, जिनमें वे मकान या दुकान भी नगर पालिका ने ध्वस्त कर दिये, जिनके मालिक सात जनवरी को ही राजस्थान हाई कोर्ट से अपने पक्ष में स्थगन के आदेश लेकर आये थे। तब अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नगर पालिका किसी भी मकान मालिक या दुकानदार की इमारत तब तक नहीं तोड़ सकती, जब तक कि उसे कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अवाप्त नहीं कर लिया जाता और मकान मालिक या दुकानदार को मुआवजा या जमीन के बदले जमीन और मुआवजा न दिया गया हो। याचिकाकर्ता के वकील अर्चित बोरा का कहना है कि नगर पालिका ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुये जमीन आवाप्त करने के लिए न तो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई और न ही नोटिस जारी किये। गौरफरमाने योग्य है कि कोटपूतली के स्थानीय जिलाध्यक्ष ने मीडिया में बयान दिया है कि, उन्होंने ऐसी किसी भी दुकान या इमारत को ध्वस्त नहीं किया है जिसे अदालत से स्टे मिला है। जबकि चार याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अदालत ने स्टे दिया था फिर भी नगर पालिका ने उनके भवन तोड़ दिए हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में दायर नौ याचिकाओं में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खण्ड पीठ के समक्ष लगी है। याचिकाकर्ता के वकील अर्चित बोरा ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की खण्डपीठ में गुहार की है कि वह अपने आदेश में स्पष्ट करे कि नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर अदालत ने जो स्थगन आदेश दिये थे, वह अदालत में याचिका दायर करने वाली पार्टियों के ही नहीं बल्कि नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे सभी लोगों, व्यापारियों व भूखण्ड मालिकों के हित में दिए गए थे, अर्थात् यह स्थगन आदेश नगर पालिका पर पूरी तरह लागू होता है। गौरफरमाने योग्य है कि नगर पालिका अदालत में यह सिद्ध नहीं कर पायी कि जिन लोगों को नोटिस दिये गये थे, उनमें से किसी ने भी कोई भी अतिक्रमण किया था।

इस मामले को जानने वाले कई लोगों का कहना है कि प्रशासन व स्थानीय विधायक लोगों को उनकी भूमि से हटाकर, उक्त क्षेत्र से 10 से 15 किलोमीटर दूर पनियाला में पुनः स्थापित करना चाहती है, परन्तु नगर पालिका सभी स्थानीय लोगों को मुआवजा या भूमि नहीं देना चाहती। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के अधिकारी मीडिया में बयान दे चुके हैं कि वह चार या पांच से ज्यादा लोगों की भूमि अवाप्त नहीं करेगी।

'क्या ये चुनावी वादे देश की इकॉनमी के लिए सही हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, इस पर सदन में बहस व चर्चा होनी चाहिये, हम किसी राजनीतिक दल को चुनावी वादे करने से नहीं रोक सकते

नई दिल्ली, 17 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी लोकलुभावन वादों के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को कहा कि वह राजनीतिक दलों को मतदाताओं से वादे करने से नहीं रोका सकता।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह राजनीतिक दलों को मतदाताओं से वादे करने पर रोक नहीं सकती लेकिन इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, पीने के पानी जैसी आवश्यक चीजों को जनता तक तक पहुंचाने को मुफ्त उपहार की श्रेणी में माना जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वास्तव में ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जो नागरिकों के अधिकार हैं तथा उन्हें जीवन की गरिमा प्रदान करती हैं।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह भी कहा कि यह मुद्दा 'तेजी से जटिल' होता जा रहा था और सवाल यह था कि सही वादे क्या हैं? पीठ ने कहा,हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते हैं। सवाल यह है कि बहस और चर्चा होनी चाहिए कि सही वादे क्या हैं। क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे, सत्ता की कुछ आवश्यक इकाइयों को मुफ्त के रूप में वर्णित कर सकते हैं?

मुख्य न्यायाधीश ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' जैसी योजना का भी हवाला दिया।

न्यायमूर्ति रमना ने संबंधित पक्षों से कहा, मनरेगा ऐसी योजना है, जो जीने की गरिमा देती हैं। मुझे नहीं लगता कि वादे केवल पार्टियों के चुने जाने का आधार हैं। कुछ वादे करते हैं और फिर भी वे नहीं चुने जाते। आप सभी अपनी राय दें और फिर विचार के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त उपहारों के वादे पर प्रतिबंध लगाने या ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश देने की शीर्ष अदालत से लगाई है।

मोदी-शाह ने भाजपा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं, को संसदीय बोर्ड में फिर से शामिल कर लिया गया है।

फड़णवीस चुनाव समिति में शामिल किये गये हैं। उन्हें यह तोहफा संभवतः इसलिये दिया गया है कि जब शिवसेना के विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के साथ, भाजपा महाराष्ट्र की सत्ता में आई थी, तो फड़णवीस पर उपमुख्यमंत्री का अपेक्षाकृत छोटा स्वीकार करने के लिये दबाब डाला गया था तथा उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया था।

शिवराज सिंह संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिये गये हैं। यह निर्णय एक ऐसे व्यक्ति के लिये निश्चित रूप से एक बड़ा धक्का है, जो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहा है।

येदियुरप्पा को पिछले साल पार्टी की अंदरूनी लड़ाई तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के लिये बाध्य किया गया था। 77 वर्ष के हो जाने के कारण, वे पार्टी की 75 वर्ष की अलिखित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ये प्रभावशाली लिंगायत राजनेता कुछ दिनों से नाखुश थे तथा पार्टी उन्हें सान्त्वना देना चाहती थी ताकि अगले वर्ष होने वाले कर्नाटक के चुनावों में उनके सहयोग का लाभ सुनिश्चित हो सके। लिंगायत राजनैतिक रूप से एक ताकतवर समुदाय है जिसके कर्नाटक में करीब 18 प्रतिशत वोट हैं।

सर्बानन्द सोनोवाल, जो इस साल के शुरू में भाजपा के दोबारा सत्ता के बाद, हिमान्ता बिस्वा सरमा के लिये रास्ता छोड़ देने के लिये सहमत हो गये थे, को संसदीय बोर्ड तथा केन्द्रीय चुनाव समिति- दोनों में नामजद कर दिया गया है।

इस फेरबदल में केवल मोदी, शाह, भाजपा अध्यक्ष नड्डा तथा पार्टी महासचिव बी.एल. संतोष अपने-अपने स्थान अटल एवं यथावत बने हुये हैं।

कुछ ठीक नहीं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इकाई की एक अहम बैठक शुक्रवार को आहूत की जा रही हैं।

शायद पार्टी की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए लिंगायत संप्रदाय के दबंग नेता एवं दक्षिण भारत में भाजपा को सत्ता में लाने वाले येदियुरप्पा को पुनः महत्व प्रदान करते हुए पार्टी की शीर्ष निर्णय मण्डल में लिया गया है, और चूंकि वह टिकट वितरण का भी निर्णय लेंगे, इसलिए इस कदम को उनके लिंगायत वोट बैंक पर भरोसा करने के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी वोट बैंक को लेकर लिंगायत मठों के दौरे करने शुरू किए थे। येदियुरप्पा ने विश्वास व्यक्त किया कि वह नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाकर अगले वर्ष होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनावों में पार्टी की वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह दक्षिण भारत में पार्टी का प्रदर्शन सुधरवाने में मदद करें। लोकसभा में दक्षिण भारत के 130 सांसद हैं।

'हम रोहिंग्याओं को फ्लैट देकर दिल्ली में बसायेंगे'

- **केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस बयान पर चौतरफा विरोध के बाद केन्द्र सरकार बैकफुट पर आई।**

नई दिल्ली, 16 अगस्त। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बाहरी दिल्ली के बक्करवाला में अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उन्हें बुनियादी सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उनके इस बयान के बाद भारी बवाल मच गया। इसके बाद गृह मंत्रालय को इस मामले में स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा।

इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी तथा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आये और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने और रोहिंग्याओं को आवास प्रदान करने के बजाय उन्हें वापस भेजने की व्यवस्था करने का आग्रह करते हैं।

बता दें, ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा किया गया है और टिकरी सीमा के पास बक्करवाला इलाके में स्थित हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं दिये जायेंगे और उसने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है।

मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबर आ रही है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को राजधानी के बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट दिये जायेंगे।

दरअसल यह विवाद केन्द्रीय शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद पैदा हुआ जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट में स्थानांतरित किया जायेगा।

इसके बाद गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है।

इंडियन ओलम्पिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये ओलिम्पियन तीन सदस्यों वाली उस प्रशासकीय समिति के सहायक होंगे, जिसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व जज हैं। इनके अलावा, इस समिति में एक चुनाव आयुक्त तथा एक सरकारी नौकरशाह हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ओलिम्पिक कमेटी ने आई.ओ.ए. को सलाह दी है कि वह अपने चुनाव शीघ्र ही कराये अन्यथा इसे निलम्बित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि संदर्भित चुनाव पिछले दिसम्बर में हो जाने चाहिये थे।

सरकार ने जूरिख-स्थित फुटबॉल की अन्तर्राष्ट्रीय समिति फीफा के साथ समझौता वार्ता शुरु कर दी है। इस पहल से एक दिन पूर्व, फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन को निलम्बित कर दिया था तथा महिला फुटबॉल चैम्पियनशिप के आयोजन की अनुमति भी नहीं दी थी। उच्च न्यायालय ने आई.ओ.ए. के खिलाफ, उसके नेशनल स्पार्ट्स कोड के साथ तालमेल बिठाने में ''निरंतर अक्खड़पन'' के कारण, आदेश जारी कर दिये हैं।

न्यायालय ने कहा कि आई.ओ.ए. के लाइफटाइम प्रेसिडेन्ट जैसे पद नेशनल कोड के खिलाफ हैं तथा अदालत चाहती है कि वरिष्ठ अधिकारी अपने पद पर तीन कार्यकाल से ज्यादा नहीं रहें। अदालत यह भी चाहती है कि महिलाएं भी वरिष्ठ पदों पर नियुक्त की जायें तथा बोर्ड में लैंगिक समानता रहे। अदालत ने कहा, ''खेल प्रशासन केवल पुरुष के लिये आरक्षित नहीं है।''

'चुनाव लड़ना ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश लोकेन्द्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिए। वहीं एक अन्य छात्र नेता की याचिका पर एकलपीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।याचिकाओं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान के प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु 25 साल निर्धारित की गई है, जबकि पिछले दो साल से करोना के चलते चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता आयु सीमा को पार कर गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में भी आवेदन के लिए आयु सीमा दो साल बढ़ाई है। ऐसे में चुनाव लड़ने के लिए भी आयु सीमा में दो साल की छूट दी जानी चाहिए। इस पर राज्य सरकार की ओर से एएजी विभूति भूषण शर्मा और विवि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा व रचित शर्मा ने बताया कि लिंगदोह कमेटी और छात्रसंघ संविधान के अनुसार चुनाव कराए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कोई मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है। जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है, उन्हें भी मताधिकार का अधिकार दिया गया है।

बिहार में कोई सशक्त...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस समय त्वरित काम तो बिहार विधायिका के दोनों सदनों के लिये विपक्ष के नेता तथा, इससे साथ ही, उपनेताओं तथा एक मुख्य सचेतक का चयन करना है। भूपिन्दर यादव को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल कर लिये जाने के बाद, भाजपा के पास पार्टी महासचिव एवं बिहार प्रभारी नहीं है। राज्य इकाई के अध्यक्ष पद के लिये भी पार्टी को एक नये चेहरे की जरूरत है क्योंकि वर्तमान राज्य अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल अक्टूबर में समाप्त हो रहा है।

नीतीश कुमार के एन.डी.ए. से अलग हो जाने के बाद, भाजपा के सामने अपनी हिन्दुत्व-राजनीति को पिछड़ी जातियों की आकांक्षाओं के साथ मिला देने की नई चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं।

पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी आंदोलन कमजोर हो चुका दिखाई दे रहा है, के विपरीत बिहार की राजनीति की जड़ें अभी भी जाति एवं पिछड़ों की राजनीति में जमी हुई हैं। दो साल के अंतराल के साथ, 17 साल तक जे.डी.यू. की गठबंधन पार्टनर रहने के बावजूद, भाजपा एक मजबूत प्रांतीय नेतृत्व तैयार करने में असफल रही है। बिहार में आगामी भूमिका के लिये पार्टी नेतृत्व जिन नामों पर विचार कर रहा है, उनमें समर्थ चौधरी का नाम भी शामिल है, जो ओ.बी.सी. समुदाय से हैं।

सूत्रों ने संकेत दिया कि भाजपा ने बिहार के लिये तिफारी रणनीति बनाई है। पहली, ई.सी.बी. तथा महा दलितों के कुमार के वोट बैंक में सैंध लगाने की कोशिश करना, दूसरे, राज्यव्यापी ''पोल खोल'' (कुमार का कच्चा चिट्ठा खोलना) अभियान छेड़ना तथा लालू प्रसाद के ''जंगल राज'' एवं भ्रष्टाचार के युग की वापसी पर जोर देना तथा तीसरे, नई बिहार सरकार की उन कोशिशों को नाकाम करना, जिनके अंतर्गत वह राज्य में जातिगत जनगणना शुरू करने के निर्णय के माध्यम से मंडल-2 प्रारंभ करना चाहती है। ऐसी संभावना भी है कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में, सी.बी.आई., ई.डी. तथा आयकर विभाग लालू के खिलाफ केसों पर विशेष जोर दे सकते हैं।

'रूस से खरीदे गये ऑयल में हमारा खून मिला हुआ है'

यूक्रेन के प्रधानमंत्री के इस बयान के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि, भारत के लोग गरीब हैं और बहुत ऊँची कीमतों पर पैट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकते

नई दिल्ली, 17 अगस्त। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने भारत पर अपनी भड़ास निकाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत यूक्रेन का खून खरीद रहा है। बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात बढ़ाया है और उसके साथ व्यापार भी जारी रखा है।

इस मुद्दे पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन को भारत से ''अधिक व्यावहारिक समर्थन'' की उम्मीद है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कुलेबा ने तर्क दिया कि यूक्रेन भारत का एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, लेकिन रूस से कच्चा तेल खरीदकर, भारत असल में यूक्रेनी खून खरीद रहा है। भारत को लेकर यूक्रेन की ये सख्त टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि तेल एवं गैस की ''अनुचित रूप से अधिक'' कीमतों के बीच सरकार का अपने लोगों के प्रति नैतिक दायित्व है।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के चलते अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए लेकिन भारत ने अपनी हितों को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला और रूस से तेल खरीदता रहा। कई मंचों पर भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया के सवाल पर करारा जवाब दिया। इसी कड़ी में एक बार फिर से जयशंकर ने दो टूक जवाब देते हुए बताया कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है।

दरअसल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत 2000 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। यहां के लोग वे नहीं हैं जो ऊर्जा की बढ़ी कीमतों को वहन कर सकते हैं। ऐसे में यह मेरा दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि मैं उन्हें सबसे अच्छी डील करके दूं। विदेश मंत्री जयशंकर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय समुदाय के संग बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान रूस से तेल खरीदने से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि हर देश बढ़ती ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए सबसे अच्छा और मुफीद सौदा पक्का करने की कोशिश करेगा और भारत ठीक ऐसा ही कर रहा है। जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोप मध्य पूर्व और अन्य दूसरे सोर्स से तेल खरीद रहा है तो भारत को भी सबसे अच्छा सौदा पक्का करने का हक है।

जयशंकर ने यह भी कहा कि हम अपने हितों को लेकर बेहद ईमानदारी और खुले तौर पर काम कर रहे हैं। देश के नागरिक तेल गैस की उतनी ऊंची कीमतों का बोझ नहीं उठा सकते हैं। आने वाले समय में पश्चिमी देश इसे समझेंगे और भारत के कदम का भले ही स्वागत न करें लेकिन वो मानेंगे कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए सही कदम उठाया है।

विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि तेल और गैस की कीमतें असंगत रूप से अधिक हैं। बहुत सारे पारंपरिक आपूर्तिकर्ता यूरोप की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि यह महाद्वीप रूस से कम तेल खरीद रहा है।

यूरोप मध्य पूर्व और अन्य जगहों से बहुत अधिक तेल खरीद रहा है, ऐसे में भारत को सप्लाई कौन करेगा। हर देश अपने नागरिकों के लिए स्वाभाविक तौर पर सबसे अच्छा सौदा करने की कोशिश करेगा।

रोहिंग्यास....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक कानून के तहत बंदी केन्द्र (डिटैन्शन सैंटर) में रखा जाना चाहिए। विज्ञप्ति में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि रोहिंग्या अभी जहां रह रहे हैं उस जगह को तुरंत डिटैंशन सैंटर घोषित किया जाए।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908